फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : बाबरू — बनाम — विपक्षी : तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या : 53 / 21

क्रमांक — कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेशकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम शंभू के बजाय मेगा अंकित कर दिया है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। राजपेशकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा खड़ौदा पटवार हल्का बरोडिया हाल तहसील भीण्डर की आराजी न. 704, 748 में प्रार्थीगण के पिता का नाम शंभू के बजाय मेगा अंकित कर दिया गया है जिसे संशोधित कर मेगा के बजाय शंभू अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार क्रय किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में बाबरू, मांगी पिता मेगा दर्ज हैं। तदनुसार ही नामान्तरण दर्ज किया गया है एवं नामान्तरण के दौरान त्रुटि नहीं हुई हैं। प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में शंभू के बजाय मेगा दर्ज कराया जिसके लिए स्वयं प्रार्थी जिम्मेदार हैं।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता के नाम की त्रुटि लिपिकीय त्रुटि न होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज त्रुटि हैं जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं हैं। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जाता हैं। अतः प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested